न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

ऑर्डर शीट

प्रकरण संख्या 02/2018 अनवान 45/2014 बनाम नगरपरिषद बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी आदेश का अवलोकन किया गया। नोटिस प्रार्थी के पक्ष में नहीं पट्टा विलेख लीज डीड क्रमांक 1231 दिनांक 21.12.2012 को नगरपरिषद बालोतरा के द्वारा दिनांक 26.04.2017 निरस्त किया गया है। उक्त अपीलार्थी आदेश के विरुद्ध अपील कार्रवाई का क्षेत्राधिकार बाबत नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-बी(4) का अवलोकन किया। उक्त धारा के तहत नगरपालिका द्वारा स्वयं नहीं पट्टा विलेख को निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील कार्रवाई का क्षेत्राधिकार निदेशक एवं प्र.सा. अधि., स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को अधिसूचना दिनांक 9.5.2022 अनुसार निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के कारण उक्त अपीलार्थी को सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को छूट दी गई है। पत्रावली बाद निस्तारण नम्बर से कम हो। रिकार्ड लौटाया जावें। 242

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर